



उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR

हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,
HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY

पो-बहादुराबाद (हरिद्वार) 249402

P.O. : BAHADRABAD (HARIDWAR)-249402

☎: 01334-297022

E-mail : registrar@usvv.ac.in Website : www.usvv.ac.in

पत्रांक 4493 / प्रशासन / 2017

दिनांक 06 दिसम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

शासन के पत्र संख्या-872/XLII-1/2017-05(14)/2011, संस्कृत शिक्षा अनुभाग, देहरादून दिनांक 22 नवम्बर, 2017 के क्रम में विश्वविद्यालय परिसर के समस्त विभागाध्यक्षों/प्रभारी विभागाध्यक्षों एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्कृत महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विभागों/कार्यालयों/लैबों में लगी नाम पट्टिकाएं/बोर्डों पर लिखित हिन्दी भाषा के साथ-साथ संस्कृत भाषा में भी नाम पट्टिकाएं लगवाना सुनिश्चित करें।

उक्त की अनुपालन आख्या से विश्वविद्यालय को अवगत करायें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, मा. कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. सहायक कुलसचिव।
3. विभागाध्यक्ष/प्रभारी विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्री, हिन्दी एवं भाषा विज्ञान, साहित्य, व्याकरण, योग, ज्योतिष,
4. दर्शन, इतिहास, वेद, पत्रकारिता, पुस्तकालय विज्ञान विभाग।
5. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्कृत महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. श्री सुशील कुमार, सहायक आचार्य को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर प्रसारित करा दें।
7. कार्यालय प्रति।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त,
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
- ✓ 4. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 22 नवम्बर, 2017

विषय-संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 के द्वारा 'संस्कृत' भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य के तीर्थ स्थलों में प्रत्येक वर्ष अनेक तीर्थ यात्री एवं पर्यटक यात्राकाल में दर्शनार्थ आते हैं। संस्कृत भाषा के संवर्द्धन, उत्थान एवं व्यापक प्रचार-प्रसार राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत 'उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी' की स्थापना की गयी।

2. उत्तराखण्ड राज्य में संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं उक्त भाषा को प्रोत्साहन दिये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों में हिन्दी के साथ-साथ संस्कृत भाषा में नाम पट्टिकाएं लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों एवं पर्यटन क्षेत्रों में लगी नाम पट्टिकाएं/बोर्डों पर हिन्दी भाषा के साथ-साथ संस्कृत भाषा का भी प्रयोग अवश्य किया जाय। उक्त कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। इस प्रयोजनार्थ संस्कृत अनुवाद हेतु उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या- 872 (1)/XLII-1/2017-05(14)2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)
प्रभारी सचिव।

RS
हानुत
उषा शुक्ला
प्रभारी सचिव
22/11/17